मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक/631/845/2016/ब–1/चार भोपाल,दिनॉक 09/06/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में ।
संदर्भः– वित्त विभाग का परिपत्र क्र.695/डीएमसी/बी–7/चार/दिनॉक 29.4.2015 परिपत्र क्र. 1511/474/डीएमसी/चार/2015, दिनांक 03/09/2105 एवं 432/2016/चार/ब–1 दिनॉक 01.04.2016

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों के माध्यम से केन्द्रीय योजनाओं की राशि उपयोग करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं । वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 1/4/2016 की कंडिका–2 III में लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं की संरचना में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप इन योजनाओं की राशि आहरित करने के पूर्व, परिवर्तित संरचना सक्षम वित्तीय द्वारा अनुमोदित होना चाहिये ।

2/ इन्हीं निर्देशों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि नीति आयोग द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की पुनर्संरचना के लिये, मुख्यमंत्रियों की गठित उप समूह की अनुशंसा पर भारत सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात के संबंध में निर्णय लिया गया है । उपसमूह की यह अनुशंसा केन्द्रीय मंत्रालयों, देश के प्रमुख राज्यों तथा विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत समीक्षा पर आधारित है । उप समूह की अनुशंसा के अनुक्रम में सचिव, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र क्र0 32/PSO/FS/2015 दिनांक 28/10/2015 के माध्यम से सूचित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की योजनायें अर्थात् जिनमें भारत सरकार द्वारा कोई अनुपात परिवर्तन नहीं किया गया है एवं जिनमें केंद्रांश एवं राज्यांश का

निरंतर...2

अनुपात 60:40 किया गया है, उन्हें राज्य में लागू करने हेतु पुनः सक्षम वित्तीय समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी । इन योजनाओं की सूची परिशिष्ट–1 में संलग्न की गई है । अन्य योजनाओं के लिए पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे ।

कृपया उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार.

अजीत
(ए.पी.श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

पृ.कमांक /632/845/2016/ब–1/चार भोपाल,दिनॉक 09/06/2016

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, म.प्र.शासन ।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन ।
3. प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, म.प्र.शासन ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय वित्त मंत्री, म.प्र.शासन ।

संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

1. केन्द्र प्रवर्तित योजनायें जिनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अर्थात पूर्व से प्रचलित अनुपात यथावत रहेगा। ये योजनाएं निम्नानुसार हैं :-

   (i) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.
   (ii) National Social Assistance Program.
   (iii) Umbrella Program for Development of Scheduled Castes.
   (iv) Umbrella Program for Development of Scheduled Tribes.
   (v) Umbrella Program for Development of Differently Abled Persons.
   (vi) Umbrella Program for Development of Minorities
      (a) Multi-sectoral Development Program for Minorities,
      (b) Education Scheme for Madarsas / Minorities
   (vii) Umbrella Program for Development of Backward Classes and other vulnerable Groups.

2. केन्द्र प्रवर्तित योजनायें जिनमें केन्द्रांश एवं राज्यांश को परिवर्तित कर 60:40 किया गया है। ये योजनायें निम्नानुसार है :-

   (i) Krishi Unnati Yojna.
   (ii) Rashtriya Krishi Vikas Yojna.
   (iii) Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna.
   (iv) Rashtriya Pashudhan Vikas Yojna (Livestock Mission, Veterinary services and Dairy Development).
   (v) Swachcha Bharat Abhiyan (Rural and Urban).
   (vi) National Rural Drinking Water Program.
   (vii) National Health Mission (including AYUSH, Medical Education and RSBY/RSSY).
   (viii) National Education Mission (including SSA, RMSA, RUSA, Teachers Training and Audit Education).
   (ix) Integrated Child Development Services (including nutrition mission, maternity benefits and program for adolescent girls).
   (x) Integrated child Protection Scheme.
   (xi) Mid-Day Meal Program.
   (xii) Housing for all (Rural and Urban).
   (xiii) National Livelihood Mission (Rural and Urban).
   (xiv) Forestry and Wildlife (including Green India Mission, Project Tiger and Integrated Development of Wildlife Habitats).
   (xv) Urban Rejuvenation (AMRUT) and Smart Cities Mission.
   (xvi) Modernisation of Police Forces.
   (xvii) Infrastructure Facilities for Judiciary.